सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र. 03–11/सू.अधि./23–17/ 1184 रायपुर, दिनांक 22.03.17

प्रति,

श्री गोपीचंद राठौर,
पता–मु.पा.–सारागॉव जिला–जांजगीर चांपा
छ.ग. पिन–495687

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।

संदर्भः–आपका पत्र क्र. निरंक, दिनांक 06.03.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 23–17, दिनांक 14.03.2017।

–::000::–

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन के माध्यम से चाही जानकारी, इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संकलित कर ली गई है, जो कि कुल 01 पृष्ठ में उपलब्ध है, प्रदान की जाती है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो उक्त जानकारी के विरूद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रू. 50/– मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार हैः–

श्री पी.के.अग्रवाल
अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)–एक
कार्यालय– मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।
दूरभाष–0771–2574883

R. Jha
22/03/17
(राजीव झा)
जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)
कार्या.– मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771–2574081

22/3/17
22/3/17

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

क्रं. 03–11/डीजीएम–दो/622 रायपुर दिनांक 14-02-17

प्रति,

श्री गोपीचंद राठौर पिता श्री रामकृष्ण राठौर,
ग्राम – कन्हाईबंद, पो.ऑ.–सारागांव,
जिला – जांजगीर–चांपा (छ.ग.) 495687
मो.नं. – 9993680937

द्वारा :– अधीक्षण यंत्री (सिविल), वृत्त–तीन, मड़वा तेदुभाठा परियोजना।

विषय :– पुनर्वास लाभ हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र निरंक दिनांक 30.01.2017

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि :–

1/ 2X500 मे.वा., मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना हेतु ग्राम कन्हाईबंद की रेलपथ निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के खातेदार राधाबाई पिता मोहनलाल पति रामकृष्ण द्वारा अपने पुत्र अर्थात् गोपीचंद को नामित किया गया है।

2/ खातेदार का कंपनी द्वारा निम्न बिन्दुओं के आधार पर पात्र होने पर ही आपका पुनर्वास संबंधी दावा स्वीकार्य किया जावेगा :–

अ) खातेदार भू–अर्जन की धारा 4(1) प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व से अर्जित भूमि का भूस्वामी /शासकीय पट्टेदार रहा हो।

ब) भूमिस्वामी/शासकीय पट्टेदार भू–अर्जन के समय परियोजना क्षेत्र में निवासरत होकर अर्जित भूमि पर काश्त कर रहा हो।

स) अर्जित भूमि का भूस्वामी/शासकीय पटटेदार शासकीय/निजी नौकरी या नियमित व्यवसाय या व्यापार ना करता हो।

3/ यदि खातेदार परियोजना क्षेत्र के निवासी है तो मड़वा-तेन्दुभाठा परियोजना क्षेत्र (आपके दस्तावेजों के आधार पर ग्राम कन्हाईबंद) में निवासरत होने के साक्ष्य के लिए सन् 2008 विधानसभा चुनाव, 2009 लोकसभा चुनाव एवं 2010 ग्राम पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचन कार्यालय जांजगीर–चांपा द्वारा जारी सत्यापित मतदाता सूची जिसमें खातेदार का नाम अंकित हो, जमा करें।

कलेक्टर, जांजगीर चांपा की जांच प्रतिवेदन के आधार पर आप परियोजना क्षेत्र के बाहर सारागांव क्षेत्र के निवासी होने के कारण पुनर्वास लाभ हेतु अपात्र है। कंडिका 2 एवं 3 के अनुसार आवश्यक वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता (मा.सं.सा.)
छ०रा०वि०उ०कं०मर्या०, रायपुर

प्रतिलिपि :–
अधीक्षण अभियंता(सिविल)वृत्त–तीन, म.ते.ता.वि.गृ., छ.रा.वि.उ.कं.मया., जांजगीर–चांपा।

O/o CE (HR)
C.S.P.G.C.L., RAIPUR
Rect. No. 2174
Date 10.3.17

प्रति,

जनसूचना अधिकारी,
मुख्य अभियंता (मानव संसाधन)
छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी,
मर्यादित विद्युत सेवा भवन, डंगनिया
रायपुर–492013

विषय : सूचना के अधिकार के तहत् जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन।

संदर्भ : पुनर्वास नीति के तहत् नियमित नौकरी प्राप्त करने हेतु मेरा स्मरण पत्र दि. 30/01/2017.

महोदय,

मेरे द्वारा आपके कार्यालय को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक मे पारित आदेश दिनांक 23/09/2015 के परिपालन में अर्जित भूमि के एवज् में आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् योग्यतानुसार नियमित नौकरी प्रदान करने हेतु दिनांक 30/01/2017 को रजिस्टर्ड पोस्ट क. A RC191654586IN के माध्यम से स्मरण पत्र भेजा गया था। जिसकी प्रति संलग्न है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे सूचना के अधिकार के तहत् निम्न जानकारी प्रदान करने की कृपा करें:–

" उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30/01/2017 की प्राप्ति पर आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी, जैसे भेजे गये पत्र की प्रति, जाँच प्रतिवेदन की प्रति , भेजे गये जवाब, अभिमत् या आपत्ति की प्रति , समस्त संलग्न सहित "

आपसे निवेदन है कि आपके कार्यालय में उपलब्ध जानकारी प्रदान करने के पश्चात् शेष जानकारी प्रदान करने हेतु अधिनियम की धारा– 6 (3) के मेरा आवेदन संबंधित लोकप्राधिकारी को भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः पोस्टर आर्डर 10/– रू.।

दिनांक : 06-03-2017

आवेदक,
गोपीचंद राठौर
पता–मु.पो.–सारागॉव
जिला–जांजगीरचांपा(छ.ग.)
पिन– 495687
मो.नं. 9993680937 , 8770932900

DGM-I
M-II
M-III
M-IV